

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

गिरीश केडिया एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6863

साथ में

(2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15091; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6345; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7943; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8046; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8052; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8360; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8700; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10255; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11474; 2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11697)

29.11.2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या मुआवजा दिए जाने और भूमि हस्तांतरित हो जाने के बाद जिलाधिकारी को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पुनः खोलने का अधिकार है?
- क्या भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को फ्रीज करना अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वैध है?
- क्या भूमि वर्गीकरण से संबंधित विवाद मुआवजा भुगतान के बाद पुनर्वास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है?

हेडनोट्स

ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो दो पक्षों के बीच किसी विवाद पर आधारित नहीं है और जो पक्षों की सुनवाई के पश्चात पारित नहीं किया गया है, (पूर्व निर्णय द्वारा बाध्य) के रूप में लागू नहीं होता। (पैरा 39)

न्यायालय को उत्तरदाताओं की इस कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं दिखती, जिसमें भूमि की प्रकृति और उसकी दर निर्धारित की गई है; यदि उक्त निर्धारण अन्यायपूर्ण पाया गया हो, तो सरकार को यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करे, जो अन्यायपूर्ण हो और विधि के विरुद्ध हो; विशेषकर तब जब अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक अधिनियम, 2013 की धारा 37 के अंतर्गत पुरस्कार की तैयारी और स्वीकृति के माध्यम से अंतिम रूप नहीं ले पाई हो। (पैरा 42)

न्यायालय यह नहीं मानता कि यह ऐसा मामला है जहाँ जिलाधिकारी ने अपने आदेश की समीक्षा की है; इसके विपरीत, यह प्रक्रिया कभी पूर्ण ही नहीं हुई क्योंकि पुरस्कार न तो तैयार किया गया और न ही स्वीकृत किया गया। याचिकाकर्ताओं को जो मुआवजा दिया गया, वह केवल एक अनुमान के आधार पर था; बाद में जब भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी और अन्य उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों की जानकारी प्राप्त हुई, तो एक छह सदस्यीय समिति गठित कर उस त्रुटि को सुधारा गया और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। (पैरा 43)

न्यायालय को इन रिट याचिकाओं के इस समूह में कोई बल नहीं दिखता। (पैरा 51)

न्याय दृष्टान्त

कालाभारती एडवर्टाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नारिचानिया एवं अन्य, (2010) 9 एससीसी 437; बांकेटलाल बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, (2014) 15 एससीसी 116; एन. पद्मम्मा बनाम एस. रामकृष्ण रेड्डी एवं अन्य, (2008) 15 एससीसी 517; झारखंड राज्य बनाम अम्बे सीमेंट्स एवं अन्य, (2005) 1 एससीसी 368; भारत संघ बनाम बिकाश कुआंर, (2006) 8 एससीसी 192; राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1955 एससी 549; जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग बनाम डॉ. नरिंदर मोहन, (1994) 2 एससीसी 630; धन जी पांडेय बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2023 (3) पीएलजेआर 773

अधिनियमों की सूची

राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013; पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914; इंडियन स्टैम्प एक्ट, 1899; राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956

मुख्य शब्दों की सूची

भूमि अधिग्रहण; आपातकालीन प्रावधान; मुआवजा विवाद; जिलाधिकारी का कार्यक्षेत्र; आवासीय बनाम कृषि भूमि; सिक्स मेन कमिटी; बैंक खाता फ्रीज; सार्वजनिक मांग वसूली; फंक्टस ऑफीशियो; एल.ए.आर.आर.ए. अधिकार क्षेत्र

प्रकरण से उत्पन्न

जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा अधिनियम, 2013 के तहत इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही, विशेष रूप से मेमो सं. 459 दिनांक 28.07.2017 और मेमो सं. 181 दिनांक 17.03.2018।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6863 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता; श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता; श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता; श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री ऋषि राज सिन्हा, एससी-19; श्री बीरेंद्र प्रसाद सिंह, एसी टू एससी-19

(2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15091 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अमर नाथ सिंह, अधिवक्ता; श्री कमल किशोर सिंह, अधिवक्ता;

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री ऋषि राज सिन्हा, एससी- 19

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6345 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: मोहम्मद खुर्शीद आलम, एएजी- 12

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7943 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता; श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता; श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता; श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जीपी- 18

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8046 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता; श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता; श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता; श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए: श्री सुभाष चंद्र यादव, जीपी-15

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8052 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता; श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता; श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता; श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जीपी- 18

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8360 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री साजिद सलीम खान, एससी- 25

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8700 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता; श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता; श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता; श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता; श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता; श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री साजिद सलीम खान, एससी- 25

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10255 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जीपी-18

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11474 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री साजिद सलीम खान, एससी- 25

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11697 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: मोहम्मद खुर्शीद आलम, एएजी-12

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6863**

=====

गिरिश केडिया, पिता - जय प्रकाश केडिया, निवासी आर. बी. लेन, पी. ओ.
और पी. एस.-फारबिसगंज, जिला-अररिया।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव सह-आयुक्त राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. जिला दंडाधिकारी अररिया।
4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया।

..... प्रतिवादी/ओं

=====

के साथ

2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15091

=====

1. महेश प्रसाद यादव
2. घनश्याम यादव उर्फ श्याम प्रसाद यादव
3. बिंदेश्वरी यादव, सभी स्वर्गीय सदानंद यादव के बेटे, गाँव-गिमराही, डाक-सोनापुर, थाना-नरपतगंज, जिला अररिया के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. जिला दंडाधिकारी, अररिया।
3. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया।
4. अंचलाधिकारी, नरपतगंज, जिला अररिया।
5. मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक की फारबिसगंज शाखा, कोड 00077, जिला-अररिया।
6. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बिहार, पटना।

..... प्रतिवादी/ओं

=====

के साथ

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6345

=====

सरोज मिश्रा, पति- सुमन कुमार मिश्रा, गाँव-मिश्रा टोला, खंड कोहलिया, अंचल
+ थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, अररिया, जिला- अररिया।
5. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया, जिला- अररिया।
6. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया, जिला- अररिया।
7. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जिला- अररिया।

... .. प्रतिवादी/ओं

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7943

=====

अनिल कुमार अग्रवाल, पिता - ब्रज मोहन अग्रवाल, निवासी सदर रोड, पी.ओ.
और पी.एस.- फारबिसगंज, जिला- अररिया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव सह आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, आयुक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर, अररिया।
4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया।

... .. प्रतिवादी/गण

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 8046

=====

अभिषेक सिंघी उर्फ अभिषेक कुमार सिंघी, पिता- सुनील कुमार सिंघी, निवासी
हाई स्कूल रोड, पी.ओ. एवं पी.एस.- फारबिसगंज, जिला- अररिया।

... .. याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सह आयुक्त, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव, आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर, अररिया।
4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया।

... .. प्रतिवादी/गण

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8052

=====

सुनील कुमार सिंघी, पिता- स्वर्गीय मूलचन सिंघी, निवासी हाई स्कूल रोड,
पी.ओ. एवं पी.एस. फारबिसगंज, जिला- अररिया अपने पावर ऑफ अटॉर्नी
धारक अभिषेक सिंघी उर्फ अभिषेक कुमार सिंघी, पुत्र सुनील कुमार सिंघी,
निवासी हाई स्कूल रोड, पी.ओ. एवं पी.एस. फारबिसगंज, जिला- अररिया के
माध्यम से।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव सह आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, आयुक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, अररिया।
4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया।

... .. प्रतिवादी/ओं

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8360

=====

रामेश्वर मेहता, पिता - बौकाई मेहता, निवासी ग्राम- बेला, वार्ड संख्या 5,
पी.एस.- नरपतगंज, जिला- अररिया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, अररिया, जिला- अररिया।
5. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया, जिला- अररिया।
6. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया, जिला- अररिया।
7. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जिला- अररिया।

... .. प्रतिवादी/ओं

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 8700

=====

शैलेश कुमार जैन, पिता - संतोष चंद बैद, निवासी सदर रोड, पी.ओ. एवं
पी.एस. फारबिसगंज, जिला- अररिया।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव सह आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर, अररिया। 4. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया।

... .. प्रतिवादी/ओं

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 10255

=====

तुलिया देवी, पति - विश्वनाथ गुप्ता, निवासी ग्राम- बरौगंज, पी.ओ.- बेला,
पी.एस.- नरपतगंज, जिला- सुपौल।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार, पटना। 4. जिला दंडाधिकारी/समाहर्ता, अररिया, जिला-अररिया।
5. विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारी, अररिया, जिला-अररिया।
6. जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, अररिया, जिला-अररिया।
7. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जिला-अरवल।

... .. प्रतिवादी/ओं

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 11474

=====

इंद्रदेव यादव, पिता- स्वर्गीय डोमी यादव, निवासी ग्राम- बेला, अंचल +
पी.एस.- नरपतगंज, जिला- अररिया

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. निदेशक, भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विभाग, सरकार। बिहार
4. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, अररिया, जिला- अररिया
5. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया, जिला- अररिया
6. निदेशक भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया, जिला- अररिया
7. कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण विभाग, सड़क प्रमंडल, जिला- अररिया

... ... प्रतिवादी/ओं

=====

साथ में

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 11697

=====

कंचन देवी, पति- गोवर्धन साह, निवासी ग्राम- भदेश्वर, पी.एस.- फारबिसगंज,
जिला- अररिया।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, अररिया, जिला- अररिया।
5. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया, जिला- अररिया।
6. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया, जिला- अररिया।
7. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जिला- अररिया।

... ... प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6863 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता
श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता
श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता
श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री ऋषि राज सिन्हा, एससी-19
श्री बीरेंद्र प्रसाद सिंह, एससी दू एससी-19

(2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15091 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अमर नाथ सिंह, अधिवक्ता
श्री कमल किशोर सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री ऋषि राज सिन्हा, एससी- 19

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6345 में)

- याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए: मोहम्मद खुर्शीद आलम, एएजी- 12
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 7943 में)
- याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
 श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता
 श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता
 श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
 श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता
 श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता
- प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जीपी- 18
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8046 में)
- याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
 श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता
 श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता
 श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
 श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता
 श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता
- प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए: श्री सुभाष चंद्र यादव, जीपी-15
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8052 में)
- याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
 श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता
 श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता
 श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
 श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता
 श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता
- प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जीपी- 18
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8360 में)
- याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता
- प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री साजिद सलीम खान, एससी- 25
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 8700 में)
- याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
 श्री अटल बिहारी पांडे, अधिवक्ता
 श्री आलोक कुमार झा, अधिवक्ता
 श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता

श्री आकाश कुमार, अधिवक्ता
 श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री साजिद सलीम खान, एससी- 25
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 10255 में)
 याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री राज किशोर रॉय, जीपी-18
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11474 में)
 याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री साजिद सलीम खान, एससी- 25
 (2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11697 में)
 याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री शारदा नंद मिश्रा, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए: मोहम्मद खुर्शीद आलम, एएजी-12

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सी ए वी निर्णय

तिथि: 29-11-2024

समान तथ्यों के आधार पर समान शिकायत पर विचार करते हुए, सभी पक्षों की सहमति से; रिट याचिकाओं के इन समूह की सुनवाई एक साथ की गई और इस सामान्य आदेश/निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया गया। दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6863/2018 के तथ्यों को एक प्रमुख मामले के रूप में ध्यान में रखा जा रहा है।

2. रिट याचिकाओं के इन सभी समूह में याचिकाकर्तागण भूमि के स्वामी थे, जिनका विवरण उनकी संबंधित रिट याचिकाओं में विधिवत उल्लेख किया गया है और जिन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (संक्षिप्त 'अधिनियम, 2013' के तहत) में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भारत-नेपाल सीमा सड़क के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया था।

3. याचिकाकर्ता ज्ञापन संख्या 459 दिनांक 28.07.2017 के तहत जारी पत्र/नोटिस तथा विभिन्न तिथियों पर जारी अन्य समान पत्रों से व्यथित हैं, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, अररिया द्वारा शुरू की गई संपूर्ण कार्यवाही से भी व्यथित हैं, जिसके आधार पर प्रतिवादियों ने अधिग्रहण की कार्यवाही को फिर से खोल दिया है, जो पहले ही अंतिम रूप दे दी गई है तथा याचिकाकर्ताओं को पहले ही मुआवजा और क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जा चुका है, तथा अधिनियम, 2013 की धारा 37 के अनुसार इसे रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया द्वारा जारी पत्र संख्या 452 दिनांक 28.07.2017 तथा अन्य समान पत्रों से भी व्यथित हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है तथा लीड बैंक को प्रतिवादी कलेक्टर की अनुमति तक परिचालन की अनुमति न देने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मेमो संख्या 181 दिनांक 17.03.2018 में निहित पत्र को भी रद्द करने की मांग की, साथ ही अन्य समान पत्रों को भी रद्द करने की मांग की, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं से मुआवजे की अंतर राशि की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी घोषणा करने की मांग की कि एक बार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रकाशित प्रारंभिक नोटिस से लेकर अधिनियम की धारा 37 के तहत पुरस्कार की अंतिमता के अनुसार मुआवजे के भुगतान तक भूमि अधिग्रहण का पूरा तंत्र और प्रक्रिया पूरी हो गई है, अधिनियम का कोई भी प्रावधान प्रतिवादी कलेक्टर या प्रतिवादी संख्या 4 को मापदंडों और विवाद करके पुरस्कार को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र और अधिकार प्रदान नहीं करता है।

4. प्रतिवादियों की आक्षेपित कार्रवाई की वैधता पर निर्णय लेने से पहले, जिन तथ्यों पर इन मामलों में ध्यान दिया जाना चाहिए, वे नीचे उल्लिखित किए गए हैं:

5. भारत-नेपाल सीमा सड़क के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा नरपतगंज, फारबिसगंज, कुर्शाकांटा और सिकटा जैसे चार अंचलों के अंतर्गत आने वाले 64 गाँवों की कुल 456.1.200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा था। पूर्वनिर्दिष्ट सड़क के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा व्यक्त की गई आवश्यकता एवं अपेक्षा के अलोक में, याचिकाकर्ताओं एवं अन्य ऐसे ही भूस्वामियों के स्वामित्व वाली भूमि को अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1), के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या 239 दिनांक 11.05.2016 के माध्यम से आधिकारिक राजपत्र के साथ-साथ समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कर अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया गया था। दिनांक 12.05.2016 को, प्रतिवादियों ने अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए कानून में निर्धारित पुनर्वास और पुनर्स्थापन की घोषणा और सारांश के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) के तहत एक और अधिसूचना प्रकाशित की।

6. यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि के अधिग्रहण के दौरान, प्रतिवादी जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया ने याचिकाकर्ताओं से भूमि का विवरण, स्वामित्व के दस्तावेज, उक्त भूमि में ब्याज का विवरण, भूमि कब्जे का प्रमाण पत्र, किराया भुगतान रसीदें आदि प्रस्तुत करने के लिए कहा। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष भूमि के संबंधित स्वामित्व विलेख/बिक्री विलेख, किराया

भुगतान रसीदें और भूमि अधिकार प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रस्तुत कीं और उक्त प्राधिकरण द्वारा आवश्यक एक शपथ-पत्र भी निष्पादित किया। सभी सामानों को पूरा करने के बाद, प्रतिवादी जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अंतिम निर्णय के प्रकाशन से पहले याचिकाकर्ताओं की भूमि पर कब्जा कर लिया। हालांकि, इसके बाद, याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग तारीखों पर प्रतिकर और क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हुआ। इस प्रकार अधिग्रहित भूमि को सड़कों के निर्माण के लिए अनुबंध देने के बाद संबंधित संस्था को सौंप दिया गया था और अंत में ऐसी लगभग सभी अधिग्रहित भूमि पर सड़कों का निर्माण किया गया है और यह वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग में है और इस प्रकार जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वह पहले ही पूरा हो चुका है और अधिग्रहण की पूरी परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

7. अचानक अगस्त, 2017 के महीने में याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने बैंकों से पता चला कि प्रतिवादी जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कहने पर उक्त बैंक में मौजूद उनके खातों को हिमशीतित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को पत्र की सामग्री से पता चला कि अज्ञात कारणों से, समाहर्ता की अनुमति तक उनके बैंक खातों का संचालन बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिनांक 28.07.2017 को ज्ञापन संख्या 459 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया था कि शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनसे यह अनुमान लगाया गया था कि अधिग्रहण विभाग के साथ मिलीभगत से, याचिकाकर्ताओं की भूमि की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया गया था। इस मुद्दे पर उस उद्देश्य के लिए गठित एक दल द्वारा पूछताछ की गई और जांच ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त भूमि कृषि प्रकृति की थी। उपरोक्त पत्र द्वारा

याचिकाकर्ताओं को मामले में सुनवाई के लिए प्रतिवादी समाहर्ता के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की और जवाब प्रस्तुत किया। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण में, किसी भी प्रतिवादी द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी और अचानक, याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्गत ज्ञापन संख्या 181 दिनांक 17.03.2018 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें याचिकाकर्ताओं से उनके द्वारा प्राप्त कथित अतिरिक्त मुआवजे के कारण मुआवजे की अंतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसे छह सदस्यीय समिति द्वारा की गई जांच के दौरान वसूली योग्य माना गया था। उपर्युक्त पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की भूमि कृषि योग्य पाई गई, जबकि उन्हें उक्त भूमि आवासीय प्रकृति की होने के कारण मुआवजा मिला है।

8. श्री गौतम कुमार केजरीवाल, याचिकाकर्ता के लिए दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6863/2018 में विद्वान अधिवक्ता, ने प्रतिवादी अधिकारियों की आक्षेपित कार्रवाई और परिणामी आक्षेपित आदेशों पर हमला करते हुए सबसे पहले इस न्यायालय को अधिनियम, 2013 के माध्यम से सभी प्रासंगिक प्रावधानों से अवगत कराया है। यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 11 भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के लिए प्रारंभिक अधिसूचना से संबंधित है और उक्त प्रावधान स्वयं भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण को अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की उस श्रेणी को निर्धारित करने का अधिकार देता है। अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत निर्गत प्रारंभिक अधिसूचना में ही कहा गया है कि अधिग्रहण के तहत भूमि प्रकृति में आवासीय है। प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं की भूमि को आवासीय के रूप में अधिसूचित किया और तदनुसार मुआवजे का निर्धारण किया और

याचिकाकर्ताओं को उसी का भुगतान किया, वे अपने रुख से पीछे नहीं हट सके और भूमि की श्रेणी के बारे में अपनी समझ और निर्णय को संशोधित नहीं कर सके। इसके अलावा अधिनियम की धारा 11 (5) प्रतिवादियों को ऐसी अधिसूचना के दो महीने के भीतर भूमि अभिलेख को अद्यतन करने के लिए बाध्य करती है। अधिनियम की धारा 12 प्रतिवादियों को सरकार के अधिकारी द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत करती है। अधिनियम, 2013 की धारा 15 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के संबंध में इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करने की आवश्यकता से संबंधित है। अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अवलोकन से पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों की शिकायतों या आपत्तियों पर केवल उस स्तर पर विचार किया जा सकता है जो अधिनियम, 2013 की धारा 11 और धारा 19 के तहत अधिसूचना के बीच में आता है, न कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मुआवजे और भौतिक कब्जे के भुगतान की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले में, व्यस्त निकाय द्वारा की गई तथाकथित शिकायतों पर मुआवजे का निर्धारण करने और याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने के बाद विचार किया गया है। अधिनियम की धारा 16, 2013 प्रशासक द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक अन्य सर्वेक्षण के बारे में बात की जाती है, जो प्रकृति, श्रेणी, उपयोग और अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सत्यापन का एक और दौर है। इसी तरह, धारा 17 आगे प्रतिवादी समाहर्ता से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उद्देश्य से अधिनियम, 2013 की धारा 16 (6) के तहत तैयार की गई मसौदा योजना की समीक्षा करने की अपेक्षा करती है। धारा 20 को कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान कहा जाता है,

जिसमें प्रतिवादियों द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के चिन्हांकन, मापन और नियोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापन और नियोजन बनाते समय, यह संभव नहीं है कि भूमि की प्रकृति के बारे में कि क्या यह आवासीय है या कृषि भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के ध्यान से बच जाए ।

10. अधिनियम, 2013 की धारा 21 मुआवजे और ब्याज के लिए दावे आमंत्रित करने वाली अधिसूचना के लिए वैधानिक प्रावधान से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की भूमि की प्रकृति के संबंध में तथाकथित शिकायतकर्ता/व्यस्त निकाय द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान को पढ़ा गया है और इस न्यायालय पर समझाया गया है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन समाहर्ता द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 26 के संदर्भ में किया जाना है। उक्त प्रावधान के अनुसार, भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण करते हुए, समाहर्ता को बिक्री विलेख या बिक्री के समझौते के पंजीकरण के उद्देश्य से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के संदर्भ में निर्दिष्ट बाजार मूल्य को ध्यान में रखना होगा, जैसा कि उस क्षेत्र में हो सकता है जहां भूमि स्थित है। दूसरा, निकटतम गाँव, आसपास के क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत बिक्री मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरा, बाजार मूल्य के निर्धारण की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन समाहर्ता द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत की जाती है।

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त सभी निर्देशों कि ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जोरदार तर्क दिया कि कुल मिलाकर

7 से 8 चरणों का प्रावधान किया गया है जब प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को देय मुआवजे के निर्धारण से पहले भूमि की वास्तविक प्रकृति का सत्यापन कर सकता था। कल्पना के किसी भी विस्तार में, यह माना जाता है कि समाहर्ता द्वारा भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान, भूमि की प्रकृति, जो विचाराधीन है, को नजरअंदाज कर दिया गया होगा।

12. श्री केजरीवाल, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष आगे आग्रह किया कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की प्रकृति के मुद्दे पर मतभेद की स्थिति में, ऐसा विवाद हमेशा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी, जिसमें भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध होता है। इसलिए, भले ही समाहर्ता और अन्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों की राय थी कि अधिग्रहण के तहत भूमि की वास्तविक प्रकृति गलत तरीके से निर्धारित की गई थी या कोई भ्रम था, अधिनियम, 2013 की धारा 51 के तहत गठित उक्त प्राधिकरण के संदर्भ के बयान का सहारा लेने के लिए सबसे अच्छा उपाय उपलब्ध था तो अधिनियम 2013 की धारा 51 में, भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के दौरान पूरा किए गए किसी भी कार्य और अभ्यास की समीक्षा करने के लिए समाहर्ता के पास कोई प्रावधान और शक्ति नहीं है। एक बार जब समाहर्ता अधिग्रहण और भूमि मालिकों को देय मुआवजे के तहत भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है, जिसका अंत में भुगतान किया जाता है, तो वह सभी उद्देश्यों के लिए कार्यवाहक अधिकारी बन जाता है और पहले से ही संपन्न किसी भी प्रक्रिया पर फिर से विचार नहीं कर सकता है, भले ही वह अवैधता, भ्रम या किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से ग्रस्त हो।

13. उपरोक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए,माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कलाभारती विज्ञापन बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया और अन्य(2010) 9 एस. सी. सी. 437 और आगे बंकतलाल बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (2014) 15 एस. सी. सी. 116 में प्रतिवेदित मामले में दिए गए निर्णयों पर भी निर्भरता रखी गई है

14. इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम, 2013 में कोई प्रावधान नहीं है, जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी को समाहर्ता को उनके बैंक खातों को कुर्क करके भूमि मालिक को दिए गए मुआवजे की कथित अधिकता की वसूली करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है।

15. श्री केजरीवाल ने छह सदस्यीय समिति के गठन और उसके प्रतिवेदन को चुनौती देते हुए कहा कि अधिनियम, 2013 के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जो समाहर्ता या किसी अन्य प्राधिकरण को तथाकथित छह सदस्यीय समिति का गठन करने और किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी किसी भी छिटपुट शिकायत की जांच करने का अधिकार देता है और इस प्रकार छह सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन होने के कारण समाहर्ता के निर्णय का आधार पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है और कानून की नजर में इसकी कोई मान्यता नहीं है।

16. प्रस्तुतियों का सारांश देते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने एक ऐसा अभ्यास किया है, जो कानून के संदर्भ में अधिकृत नहीं है और वास्तव में जिस तरह से वे आगे

बढ़े हैं वह अधिनियम की योजना के विपरीत है। इसलिए प्रतिवादियों की कार्रवाई मैक्सिम "एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस" में रखे गए कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जो किसी विशेष प्रक्रिया/अधिनियम के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जिसमें किसी भी प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त सिद्धांत का समर्थन करने के लिए, एन. पद्मम्मा बनाम एस. रामकृष्ण रेड्डी और अन्य, (2008) 15 एस. सी. सी. 517 में प्रतिवेदित मामले में और झारखंड राज्य बनाम अंबे सीमेंट्स और अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 368 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है।

17. श्री शारदा नंद मिश्रा, याचिकाकर्ताओं के एक अन्य समूह की ओर से 2017 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6876/2017 और एक अन्य समान मामलों में उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व उल्लिखित तर्क को दोहराया; और इस न्यायालय का ध्यान अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत निर्गत दिनांक 11.05.2016 के अधिसूचना के साथ-साथ अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत निर्गत दिनांक 12.05.2016 के अधिसूचना की ओर आकर्षित किया है और तर्क दिया है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि की प्रकृति अधिग्रहण के लिए सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद आवासीय के रूप में निर्धारित की गई थी, जिसे राज्य सरकार से भी स्वीकृति मिली थी और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में मुआवजे की राशि का केवल 80 प्रतिशत भुगतान किया गया है और शेष राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की भूमि वर्ष 2016 में अधिग्रहित की गई है। श्री मिश्रा ने यह भी तर्क दिया कि

अधिनियम, 2013 की धारा 33 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि समाहर्ता के पास अधिनिर्णय के छह महीने के बाद अधिनिर्णय को सही करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एक बार अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, समाहर्ता के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने और पूरी कार्यवाही को नए सिरे से फिर से खोलने का कोई अधिकार नहीं होता है।

18. दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15091/2017 में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अमर नाथ सिंह ने प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान और अनुमोदन करने के बाद छह सदस्यीय समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। ना तो भूमि धारकों को कोई सूचना दी गई है और ना ही अवसर प्रदान किया गया है, छह सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन की प्रति कभी भी किसी भी पीड़ित व्यक्ति को नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा, समाहर्ता ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि कैसे पहले के प्रतिवेदन में आवासीय के रूप में भूमि की प्रकृति का सुझाव दिया गया था, यदि किसी पक्ष को कोई शिकायत है, तो वह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण के समक्ष जा सकता है, तो समाहर्ता क्यों नहीं; वह मामले को एल ए आर आर ए को भी भेज सकता है। धन जी पांडे@ गौरी शंकर पांडे बनाम भारत संघ और अन्य 2023 (3) पी. एल. जे. आर. 773 में प्रतिवेदित मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी विश्वास किया गया है।

19. दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व मो. खुर्शीद आलम, विद्वान एएजी-12 और विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री धुर्जती कुमार प्रसाद और श्री साजिद सलीम खान ने किया ।

20. राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि, अधिनियम, 2013 की धारा 40 के आपातकालीन प्रावधान के तहत भारत-नेपाल सीमा सड़क के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। धारा 40 की उप-धारा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "किसी भी भूमि के मामले में, जिसमें उपयुक्त सरकार की राय में, उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के प्रावधान लागू होते हैं, उपयुक्त सरकार निर्देश दे सकती है कि अध्याय II के अध्याय VI के कोई भी या सभी प्रावधान लागू नहीं होंगे, और यदि वह ऐसा निर्देश देती है, तो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में घोषणा की जा सकती है।

21. अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के तहत निर्गत अधिसूचना के तुरंत बाद, अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना भी 12.05.2016 को ही निर्गत किया गया है। पूर्वनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि चूंकि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 40 के आपातकालीन प्रावधान के तहत शुरू की गई है, इसलिए धारा 4 के तहत प्रदान किए गए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत आपत्तियों की सुनवाई के प्रावधान लागू होंगे।

22. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अंचल अमीन द्वारा भूमि मापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ-साथ नरपतगंज की जमाबंदी प्रतिवेदन के आधार पर एक अनुमान तैयार किया गया था और याचिकाकर्ताओं

को दो किशतों में अनुमानित मुआवजे का भुगतान किया गया है। हालाँकि, यह सूचित किया गया है कि आज तक अधिनिर्णय को मंजूरी नहीं दी गई है। भूमि की प्रकृति के बारे में सभी कोनों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने पर, समाहर्ता, अररिया ने पत्र संख्या 1937 दिनांक 24.07.2017 के माध्यम से मामले की जांच करने का आदेश दिया। इसके जवाब में, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, अररिया ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि भूमि कृषि के रूप में पाई गई थी। उपरोक्त आधार पर, समाहर्ता, अररिया ने पत्र संख्या 473 दिनांक 05.08.2017 के माध्यम से अपर जिला दंडाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला उप-पंजीयक, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (आर. सी. डी.) से बनी छह सदस्यीय समिति का गठन करके विवाद की जांच करने का निर्देश दिया। जांच समिति ने गहन जांच के बाद पाया कि विचाराधीन भूमि कृषि के रूप में है। विचाराधीन छह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, समाहर्ता, अररिया ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस निर्गत किया और इस भूमि को कृषि के रूप में मानने के लिए संक्षिप्त आदेश पारित किया। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि कोई नोटिस या कोई अवसर नहीं दिया गया था, संधारण योग्य नहीं है। लगभग सभी मामलों में याचिकाकर्ता या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए या अपना जवाब दाखिल किया और उसके बाद आक्षेपित आदेश पारित किए गए। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (आरसीडी) और जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा किए गए कदाचार के कारण, आरोप पत्र तैयार करने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी सिफारिशें की गई हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, प्रतिवादी सं.4 ने याचिकाकर्ताओं को

स्थगन राशि जमा करने का निर्देश देते हुए नोटिस निर्गत किया और अतिरिक्त भुगतान की गई राशि जमा करने का निर्देश दिया ।

23. इन दलीलों के संबंध में कि याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को बिना किसी प्राधिकरण के हिमशीतितकर दिया गया है, यह तर्क दिया जाता है कि बैंक खातों का संचालन केवल उनकी संबंधित भूमि के खिलाफ मुआवजे के बदले में भुगतान की गई राशि तक सीमित था, जो बाद में गलत पाया गया। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि भूमि की प्रकृति के निर्धारण के लिए अभ्यास बिहार सरकार द्वारा राजस्व और भूमि सुधार विभाग में निर्गत पत्र के संदर्भ में आगे बढ़ाया गया है, जैसा कि ज्ञापन संख्या 150 दिनांक 15.02.2018 में निहित है, जिसकी प्रति अभिलेख में रखी गई है और प्रतिवादी सं. 3 और 4 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक-ई श्रृंखला के रूप में चिह्नित की गई है। विद्वान सरकारी अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलों का सारांश देते हुए समान रूप से तर्क दिया कि ना तो कोई कागजी टिप्पणी की गई है और ना ही कोई दावा किया गया है कि विचाराधीन भूमि आवासीय भूमि है। चूंकि आज तक अधिनिर्णय को मंजूरी नहीं दी गई है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी होने के नाते समाहर्ता के पास गलती को सुधारने का अधिकार क्षेत्र था, यदि प्रशासनिक आदेश पारित करने में कोई गलती हुई है, तो उसे सुधारा जा सकता है। इस तरह के तर्क को पुष्ट करने के लिए भारत संघ और अन्य बनाम बिकाश कुंअर(2006) 8 एस. सी. सी. 192 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भी निर्भरता रखी गई है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अब यह सामान्य बात है कि यदि प्रशासनिक आदेश पारित करने में कोई गलती की जाती है, तो उसे सुधारा जा सकता है। हालाँकि, किसी गलती को सुधारने के

लिए किसी दी गई स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता हो सकती है। यह केवल ऐसे मामले में है जहां अभिलेखों में गलती स्पष्ट है, पीड़ित पक्ष को कोई सुनवाई दिए बिना उसके सुधार की अनुमति है।”

24. इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से आगे की गई दलीलों पर गहनता से विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

25. निर्विवाद रूप से अधिनियम, 2013 की धारा 40 के आपातकालीन प्रावधान के तहत भारत-नेपाल सीमा पर सड़क बनाने के लिए रैयतों/याचिकाकर्ताओं से भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिनियम, 2013 की धारा 40 कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण की तात्कालिकता के मामले में विशेष शक्तियों से संबंधित है।

26. धारा 40 (1) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि तात्कालिकता के मामलों में, जब भी उपयुक्त सरकार ऐसा निर्देश देती है, समाहर्ता, हालांकि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, धारा 21 में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से तीस दिनों की समाप्ति पर, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का कब्जा ले सकता है।

27. धारा 40 की उप-धारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी भूमि का कब्जा लेने से पहले, समाहर्ता ऐसी भूमि के लिए मुआवजे का अस्सी प्रतिशत का भुगतान उस भूमि के हकदार हितबद्ध व्यक्ति को करेगा, जैसा कि उसके द्वारा अनुमान लगाया गया है।

28. धारा 40 की उप-धारा 4, जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक होगी, को नीचे उद्धृत करने की आवश्यकता है:

“(4) किसी ऐसी भूमि के मामले में, जिसमें उपयुक्त सरकार की राय में, उप-धारा (1), उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के उपबंध लागू होते हैं, उपयुक्त सरकार निर्देश दे सकती है कि अध्याय 6 के अध्याय 2 के कोई भी या सभी उपबंध लागू नहीं होंगे, और यदि वह ऐसा निर्देश देती है, तो धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में धारा 19 के अधीन घोषणा की जा सकती है। ”

29. उपरोक्त प्रावधान को केवल पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार है कि अध्याय II से लेकर अध्याय VI तक के कोई भी या सभी प्रावधान लागू नहीं होंगे, और यदि वह ऐसा निर्देश देती है कि प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के बाद किसी भी समय भूमि के संबंध में धारा 19 के तहत की गई घोषणा लागू नहीं होगी। मुआवजे का प्रारंभिक भुगतान केवल समाहर्ता द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है।

30. यह स्वीकार्य है कि अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के तहत अधिसूचना निर्गत होने के तुरंत बाद अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना निर्गत की गई है, जैसा कि अधिनियम, 2013 की धारा 40 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम 2013 की धारा 19(1) के अंतर्गत आगे की अधिसूचना 12.05.20 16 को निर्गत की गई है।

31. अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) और धारा 19 (1) के तहत निर्गत दोनों अधिसूचनाओं के संचयी पठन से, यह स्वयंसिद्ध है कि विचाराधीन भूमि, अधिनियम, 2013 की धारा 40 के आपातकालीन प्रावधान के तहत अधिग्रहित की गई है और इस प्रकार धारा 4 के तहत प्रदान किया गया सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत आपत्तियों की सुनवाई के प्रावधान लागू नहीं होंगे; जितना समाहर्ता द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा अनुमान पर आधारित था। इस प्रकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के तहत शुरू की गई किसी भी अधिग्रहण कार्यवाही में अध्याय II से अध्याय VI का प्रावधान शामिल नहीं है, यदि अन्यथा यह अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत निर्देशित किया जाता है।

32. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ताओं की इस आशय की प्रस्तुति कि सभी चरणों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, भूमि की प्रकृति के बारे में कि क्या यह आवासीय या कृषि है, अधिग्रहण प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है और इस तरह के एक महत्वपूर्ण पहलू को जमीनी स्तर पर इस तरह की कवायद को अंजाम देते समय अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है, इस न्यायालय की राय में इसकी पुष्टि नहीं होती है।

33. यह उल्लेखनीय है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बिहार सरकार ने ज्ञापन संख्या 450 दिनांक 12.04.2017 और ज्ञापन संख्या 150 दिनांक 15.02.2018 में निहित अपने पत्र के माध्यम से, संबंधित विभाग के प्रधान सचिव के हस्ताक्षर के तहत निर्गत जवाबी हलफनामे के माध्यम से अभिलेख में लाया गया है, जनहित में बिहार राज्य के सभी समहर्ताओं को

सूचित किया कि भूमि अधिग्रहण और इसकी प्रकृति, श्रेणी या दर के संबंध में विवाद को हल करने के लिए, जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, बिहार सरकार ने जिला दंडाधिकारी, अपर समाहर्ता -सह-पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकारी, जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला उप-पंजीयक, अधिग्रहण प्राधिकरण के प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बनी छह सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया। उपर्युक्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद और प्रभावित भूमि धारकों/रैयतों को नोटिस निर्गत करने से पहले, अधिसूचित भूमि का उचित निरीक्षण और उसके बाद भूमि का मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

34. राय साहिब राम जवाया कपूर और अन्य बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549 में प्रतिवेदित, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आम तौर पर कार्यकारी शक्ति उन सरकारी कार्यों के अवशेषों को संदर्भित करती है जो विधायी और न्यायिक कार्यों को छीन लेने के बाद बचे रहते हैं। हालांकि, कार्यकारी सरकार कभी भी संविधान या किसी कानून के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जा सकती है। कार्यकारी कार्य में नीति के निर्धारण के साथ-साथ इसे निष्पादित करना दोनों शामिल हैं।

35. जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग बनाम नरिंदर मोहन (ड.), (1994) 2 एस. सी. सी. 630 में प्रतिवेदित, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल कमियों

को भरने के लिए किया जा सकता है, लेकिन निर्देश कानून को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए, बल्कि केवल कानून के पूरक हैं। तदनुसार कार्यकारी शक्ति का प्रयोग संविधान या किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं हो सकता है।

36. जबकि कार्यकारी शक्ति संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं और किसी अन्य कानून द्वारा सीमित है, इसका मतलब यह नहीं है कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई कानून पहले से अस्तित्व में हो। कार्यपालिका की शक्तियाँ केवल संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें अन्य कार्य जैसे सामान्य प्रशासन का पर्यवेक्षण, नीति का निर्माण और निष्पादन आदि शामिल हैं।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लगातार कहा है कि इस तरह के स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र प्रमुख विधान में संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके तहत बनाया गया प्रमुख कानून चुप है, तो सरकार निर्देश जारी करके प्रमुख कानून के पूरक के लिए स्पष्टीकरण निर्गत कर सकती है।

38. हस्तगत मामले में, अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) और 19 (1) के तहत अधिसूचना पूर्व उल्लिखित पत्रों को निर्गत करने से पहले 11.05.2016 और 12.05.2016 को निर्गत की गई थी, फिर भी राज्य सरकार के पत्रों में विचार किए गए तौर-तरीके किसी भी तरह से अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए निर्देशों के विपरीत नहीं हैं।

39. यह स्वयंसिद्ध है कि एक प्रशासनिक निर्णय जो दोनों पक्षों के बीच विवाद पर आधारित नहीं है और जो पक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत

नहीं किया जाता है, वह पूर्वन्याय के रूप में कार्य नहीं करता है। इससे प्रभावित पक्ष और निर्णय लेने वाला प्राधिकारी भी इसकी समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन व्यक्तियों के लिए निष्पक्षता के हित जिनके हित अन्यथा प्रत्यक्ष और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने पर न्यायालय प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों को बाध्यकारी प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जिन्हें सक्षम प्राधिकारी अस्वीकार या निरस्त करना चाहते हैं। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने निर्णयों को निरस्त करने के लिए प्रशासनिक निकायों की कानूनी क्षमता कम से कम उतनी ही समानता और सार्वजनिक नीति के विचारों पर निर्भर करती है जितनी कि वैचारिक वर्गीकरण पर (प्रो.एस.ए.डी स्मिथ ने अपनी "प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा", तीसरी संस्करण में)।

40. कोई भी प्रशासनिक निर्णय, किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए प्रस्तुतियों और तर्कों पर विचार करने और मूल्यांकन करने या किसी भी साक्ष्य को इकट्ठा करने के निर्णय तक पहुंचने के कर्तव्य के साथ आरोपित व्यक्ति पर कोई कानूनी दायित्व नहीं है। जिन आधारों पर वह कार्य करता है, और कार्य करने से पहले खुद को सूचित करने के लिए वह जो साधन लेता है, वे पूरी तरह से उसके विवेक पर छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद, न केवल प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की जा सकती है, बल्कि इससे होने वाले अन्याय के निवारण के लिए प्रशासनिक निर्णय की भी समीक्षा की जा सकती है। इस सिद्धांत में यह निहित है कि एक के प्रति अन्याय का निवारण करने में किसी दूसरे के प्रति अन्याय नहीं किया जाना चाहिए।

41. कानून अच्छी तरह से तय है कि कानून के अधिकार के बिना भुगतान की गई/प्राप्त की गई किसी भी राशि को हमेशा वसूल की जा

सकती है, सिवाय अत्यधिक कठिनाइयों के अपवादों को छोड़कर या किसी भी कानून/नियमों के तहत निषिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अधिकार के मामले के रूप में नहीं। इस स्थिति में, कानून का तात्पर्य धन चुकाने के लिए प्राप्तकर्ता पर एक दायित्व है, अन्यथा यह अन्यायपूर्ण संवर्धन के बराबर होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर कहा कि सार्वजनिक धन का अतिरिक्त भुगतान, जिसे अक्सर "करदाताओं का धन" के रूप में वर्णित किया जाता है, न तो उन अधिकारियों का है जिन्होंने अधिक भुगतान किया है और न ही प्राप्तकर्ताओं का। संभवतः, अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन का अतिरिक्त भुगतान लापरवाही, अनवेक्षा, मिलीभगत, पक्षपात आदि जैसे विभिन्न कारणों से हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में धन दाता या प्राप्तकर्ता का नहीं होता है। भुगतान कई स्थितियों में बिना किसी कानून के अधिकार के किए जा रहे हैं और प्राप्तकर्ताओं द्वारा भी बिना किसी कानून के अधिकार के भुगतान प्राप्त किए गए हैं। यह न्यायालय इस तथ्य से भी बेखबर नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 2013 के निर्देशों के संदर्भ में किया गया है और इस प्रकार उन्हें भूमि के मूल्यांकन के अनुरूप पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि भूमि धारकों को उनकी अधिग्रहित भूमि के मूल्य के विरुद्ध कम भुगतान मिलता है, तो यह निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत अनिवार्य संपत्ति के वैधानिक और संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा, लेकिन एक बार जब उन्हें अपनी भूमि के मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान प्राप्त हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण संवर्धन के बराबर होगा।

42. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को भूमि की प्रकृति और इसकी दर निर्धारित करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई में कोई

त्रुटि नहीं मिलती है, यदि यह अन्यायपूर्ण पाया गया, तो सरकार को प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है, यदि यह अन्यायपूर्ण और कानून के विपरीत है; वह भी, हस्तगत मामले में, जब अधिनियम, 2013 की धारा 37 के तहत अधिनिर्णय की तैयारी और अनुमोदन द्वारा अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

43. यह न्यायालय यह नहीं पाता है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें समाहर्ता ने अपने आदेश की समीक्षा की है; इसके विपरीत, प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि अधिनिर्णय कभी भी तैयार और अनुमोदित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं को दिया गया मुआवजा केवल अनुमान पर आधारित था; बाद में भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई गलती से अवगत होने के बाद, छह सदस्यीय समिति का गठन करके इसे ठीक किया गया है और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

45. अब तक याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भूमि की प्रकृति के मुद्दे पर मतभेद की स्थिति में, ऐसा विवाद हमेशा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण के लिए उत्तरदायी है (जिसे इसके बाद एल.ए.आर.आर.ए. कहा गया है) के समक्ष विचारणीय है, इस मामले के तथ्यों में इसका कोई सार नहीं मिलता है। अधिनियम, 2013, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 51 ने भूमि अधिग्रहण, देय मुआवजे और प्रतिकर की तैयारी से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक मंच अर्थात् एल.ए.आर.आर.ए. प्रदान किया, जिसके लिए इच्छुक व्यक्तियों ने अलग-अलग दावे किए हैं। यदि भूमि की प्रकृति के निर्धारण के संबंध में कोई विवाद हुआ

होता, तो ऐसा विवाद उक्त प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में भेजा जा सकता है, जिसके पास भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के किसी भी पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है, जो ऐसी कार्यवाही से जुड़े किसी भी मुद्दे के संबंध में उत्पन्न हो सकता है।

46. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यदि समाहर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विचाराधीन भूमि कृषि है, लेकिन मुआवजे का भुगतान इसे आवासीय मानते हुए किया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ित पक्ष को उपलब्ध उपचार का सहारा लेना चाहिए, जैसा कि अधिनियम, 2013 की धारा 64 के तहत प्रदान किया गया है, मामले को उक्त प्राधिकरण को संदर्भित करके, केवल तभी जब कोई अधिनिर्णय है और पक्षकार व्यथित हैं और अधिनिर्णय स्वीकार नहीं करते हैं।

47. धारा 64 अधिनियम, 2013 के तहत विचार करती है जो समाहर्ता को प्राधिकरण को विवाद को संदर्भित करने का अधिकार देती है, यदि कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि मामला प्राधिकरण के निर्धारण के लिए भेजा जाए, चाहे उसकी आपत्ति भूमि के मापन, मुआवजे की राशि, जिस व्यक्ति को यह देय है या मुआवजे के विभाजन पर हो। अधिनियम, 2013 की धारा 64 (2) में आदेश दिया गया है कि आवेदन में उन आधारों को बताया जाएगा जिन पर अधिनिर्णय पर आपत्ति ली गई है, बशर्ते कि ऐसा आवेदन समाहर्ता के पुरस्कार की तारीख से छह सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगा; और अन्य मामलों में, धारा 21 के तहत समाहर्ता से नोटिस प्राप्त होने के छह

सप्ताह के भीतर, या समाहर्ता के अधिनिर्णय की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी अवधि पहले समाप्त हो।

48. अधिनियम, 2013 की धारा 64 के तहत विचार किए गए निर्देशों का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इस प्रावधान को लागू करने के लिए अधिनिर्णय को चुनौती देना बिल्कुल आवश्यक है, अगर किसी इच्छुक व्यक्ति ने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है। हस्तगत मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि आज तक अधिनिर्णय को मंजूरी भी नहीं दी गई है।

49. याचिकाकर्ता द्वारा धन जी पांडे (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने का इस मामले में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह वह मामला था, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 के तहत भूमि अधिग्रहित की गई थी, जो एक स्व-निहित संहिता है और इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से ही एक पुरस्कार पारित किया गया था, लेकिन बाद में राज्य द्वारा अतिरिक्त राशि वापस लेने का निर्णय लिया गया, जो पहले ही भुगतान की जा चुकी थी, क्योंकि भूमि की प्रकृति आवासीय के बजाय कृषि योग्य पाई गई थी।

50. इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अध्ययन किया है और पाया है कि विचाराधीन भूमि के पुनर्मूल्यांकन/निर्धारण से पहले भूमि स्वामियों को नोटिस दिया गया था और उनमें से कई ने अपना जवाब दाखिल किया था, इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि भूमि के निर्धारण से पहले कोई नोटिस या कोई अवसर नहीं दिया गया था, अभिलेख से भी समर्थित नहीं होता है।

51. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और कानून की स्थिति को देखते हुए, इस न्यायालय को रिट याचिकाओं के इस बैच में कोई योग्यता नहीं दिखती है। यदि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अवार्ड आज तक पारित नहीं किया गया तो तीन महीने की अवधि के भीतर अवार्ड पारित किया जाए। यह देखना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ताओं को अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार उस पर आपत्ति करने की स्वतंत्रता होगी, यदि कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करता है।

52. अब प्रतिवादी कलेक्टर की विवादित कार्रवाई की वैधता पर आते हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की आस्थगित राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश देने के अलावा; उक्त उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, यह प्रक्रिया अवैध और मनमानी के अलावा कानून की कोई मंजूरी नहीं है। इस प्रकार यह न्यायालय ऐसी कार्रवाई की निंदा करता है। हालांकि, प्रतिवादी अधिकारी निर्णय के अंतिम रूप दिए जाने के बाद, कानून के अनुसार, सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 या किसी अन्य अधिनियम के माध्यम से अंतर राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन उस पर कोई ब्याज अर्जित किए बिना, क्योंकि याचिकाकर्ता कभी भी दोषी नहीं थे।

53. उपरोक्त अवलोकन के साथ सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

उदय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।